

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी ।

संख्या: ५४० / ए०जे०ए०-२

दिनांक: ०९ जून, २०१७

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ के शासन संख्या ८६६/८६-८६-२०१७-१३२/२०१६ दिनांक १५ मई, २०१७ का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली २०१७ में दिये गये निर्देशानुसार जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक ०५-०६-२०१७ के क्रम में कमेटी का निम्नवत् गठन किया जाता है:

- (१) न्यास में एक शासी परिषद् गठन एवं एक प्रबन्ध समिति होगी,
- (२) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद् में निहित होगा:
- (३) शासी परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

(क) जिलाधिकारी / कलेक्टर-	अध्यक्ष
(ख) प्रभागीय वन अधिकारी-	सदस्य
(ग) मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
(घ) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-	सदस्य
(ङ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(च) जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
(छ) जिला खनन अधिकारी	सदस्य सचिव
(ज) जिला अधिकारी द्वारा यथानामनिर्दिष्ट दो खनन पट्टाधारक	सदस्य
(झ) खनिज का उपयोग करने वाली संस्था, यदि कोई हो, का प्रतिनिधि	सदस्य
() जिलाधिकारी द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट सीधे तौर से प्रभावित क्षेत्र के प्रतिनिधि।	सदस्य


४- गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल-०३ वर्ष होगा।

५- कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब व सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा / जायेगी:

६- न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी

(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(एक) जिलाधिकारी / कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो) अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व	सदस्य
(तीन) अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम-	सदस्य
(चार) जिला खनन अधिकारी	सदस्य-सचिव


(अनिल कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

प्रतिलिपि:

१- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

२- सम्बन्धित अधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक दृष्टिवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
बाराबंकी।